पत्रांकः– 1/PMC/बैठक/05/2017–313

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 योगेश्वर धारी सिंह,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21/4/17

विषयः– कार्य संवेदकों के विपत्रों से श्रोत पर अग्रिम कर की कटौती के संबंध में।

प्रसंगः– वाणिज्य–कर विभाग का पत्रांक– बिक्री कर/ कार्य संविदा– 01/2010–502 (अनु0), दिनांक–10.02.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र कि छायाप्रति संलग्न करते हुऐ निदेशानुसार कहना है पत्र में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0–यथावत्।

विश्वासभाजन
21.04.17
(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

119
13/2/17 16

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांकः–बिक्री कर / कार्य संविदा–01 / 2010–502 (3130) / पटना, दिनांक: 10/2/17 /

प्रेषक,

सुजाता चुतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग,
लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग,
उर्जा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– कार्य संवेदको के विपत्रों से श्रोत पर अग्रिम कर की कटौती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CWJC No.–9870 / 2012 देवा श्री कंसट्रक्शन (इंडिया) प्रा0 लि0 बनाम इरकॉन इन्टरनेशनल लि0 एवं अन्य के मामलें में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2015 को पारित आदेश में यह निर्णय दिया गया है कि :–The deducting authorities are, accordingly, directed to strictly comply with the provisions of Section 41 of the Bihar VAT Act and Rule 29 of the Bihar VAT Rules in the matter of making deductions and wherever the details are provided to them by the petitioners-contractors or are available to them then they shall be obliged not to make deduction with regard to the heads mentioned therein and the TDS shall be deducted only with respect to the remaining part of the bills.

उक्त न्याय निर्णय के पश्चात् कार्य संवेदको के विपत्रों से श्रोत पर कर की कटौती के संबंध में कई कार्य विभागों द्वारा व्यवहारिक कठिनाईयाँ संसूचित किया गया था जिसे ध्यान में रखते हुए श्रोत पर कर की कटौती की प्रक्रिया को और अधिक व्यवहारिक बनाते हुए बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली के नियम 29 को एस0ओ0 242 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा संशोधित किया गया है। इसी प्रकार एस0 ओ0 244 दिनांक 28.09.2016 द्वारा श्रोत पर अग्रिम कर की कटौती की वर्तमान दर 5% को संशोधित करते हुए 8% दर किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी विभागीय पत्रांक 3830 दिनांक 06.10.16 एवं 3872 दिनांक 07.10.16 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

1 3 FEB 2017

अभियंत्रण प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
प्राप्ति सं. 318
20-2-17

अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1
डायरी नं. 492
दिनांक 21/2/17

प्रधान सचिव
डायरी सं. 845
दिनांक 13.2.17

श्रोत पर अग्रिम कर की कटौती की संशोधित प्रक्रिया में निम्न प्रावधान किये गये हैं :—

(i) निष्पादित संविदाओं के संबंध में दिये जाने वाले विक्रय मूल्य के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए तात्पर्यित प्रत्येक भुगतान से बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 अथवा 7 के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुऐं अथवा कर मुक्त संव्यवहार के मद में भुगतान किये जाने वाली राशि से अग्रिम कर की कटौती नहीं की जायेगी।

(ii) साथ ही प्रत्येक भुगतान से श्रम एवं सेवाओं के मद में उस अनुपात में कटौती दी जायेगी जो संविदा विशेष से संबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिर्पोट अथवा परिमाण विपत्र अथवा एग्रीमेंट की प्रति अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज में कुल संविदा मूल्य में श्रम एवं सेवाओं की राशि का है।

(iii) जहाँ सेवा से संबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिर्पोट अथवा परिमाण विपत्र अथवा एग्रीमेंट की प्रति अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्ध दस्तावेजों से श्रम एवं सेवाओं के प्रभार का कुल संविदा मूल्य का अनुपात निर्धारणीय नहीं है, विभिन्न प्रकृति के कार्य संविदाओं के लिए श्रम एवं सेवा मद में कटौती की गणना नियमावली के नियम 18 के उपनियम 3क में संलग्न टेबूल में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।

(iv) इस प्रकार कार्य संवेदकों के विपत्रों से संवेदकों के कर मुक्त वस्तुओं अथवा कर मुक्त संव्यवहार के मद में भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रम एवं सेवा के मद में यथा विनिर्दिष्ट तरीके से कटौती दिये जाने के पश्चात् शेष राशि पर 8% की दर से श्रोत पर अग्रिम कर की कटौती की जानी है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्य प्रमंडलों/कार्यालयों को उपरोक्त प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया जाय। प्रासंगिक अधिसूचना वाणिज्य–कर विभाग के वेबसाईट WWW.biharcommercialtax.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक- एस0ओ0 242 एवं 244
दिनांक 29.09.2016

विश्वासभाजन,
10/2/17

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 797) पटना, बुधवार, 28 सितम्बर 2016

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
28 सितम्बर 2016

एस० ओ० 242, दिनांक 28 सितम्बर 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 93 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) नियमावली 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. **बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–18 के उप–नियम (3) में खंड–(ञ) का जोड़ा जाना।**–बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005के नियम 18 के उप–नियम (3) के खंड–(झ) के बाद एक नया खंड–(ञ) निम्नवत् जोड़ा जायेगा–

"(ञ) डेवलपर के मामले में, भूमि का मूल्य जैसा कि विहित रीति से विनिर्दिष्ट किया जाय।"

3. **बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–18 में उप–नियम (3क) का अन्तःस्थापन।**–बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005के नियम 18 के उप–नियम (3) के बाद एक नया उप–नियम (3क) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जायेगा–

"(3क)– अधिनियम की धारा 35 के उप–धारा (1) के खण्ड (गग) के प्रावधानों के अधीन जहाँ संदत्त यथोचित लेखा–पुस्तका संधारण नहीं करता हो अथवा अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (1) के खण्ड (गग) सह–पठित उप–नियम (3) में वर्णित श्रम एवं अन्य सेवा एवं अन्य मदों के प्रभार में की गयी वास्तविक व्यय उसके द्वारा संधारित लेखा–पुस्त से निर्धारित नहीं किया जा सकता हो, श्रम एवं सेवा के मदों में किये गये व्यय के लिए, विहित पदाधिकारी, कार्यसंविदा की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित टेबल में दर्शाए गये प्रतिशत के बराबर छूट अनुमान्य कर सकेगा":–

5. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 29 में उप–नियम (2) का प्रतिस्थापन।–बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–29 के उप–नियम (2) का प्रतिस्थापन निम्नवत् किया जायेगा, यथा:–

"2(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, ऐसी कटौती सभी निष्पादित संविदाओं के संबंध में दिये जाने वाले विक्रय मूल्य के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए तात्पर्यित भुगतान से की जायेगी:

परन्तु यह कि निष्पादित कार्य संविदाओं के लिए श्रम एवं सेवाओं के मद में भुगतान की जाने वाली राशि से कोई कटौती नहीं की जायेगी:

परन्तु यह भी कि अधिनियम की धारा–6 अथवा धारा–7 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुएँ अथवा करमुक्त संव्यवहार के मद में भुगतान की जानेवाली राशि से कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(ii) उप–नियम (2) के खण्ड (i) के प्रथम परन्तुक के प्रयोजन हेतु सभी निष्पादित संविदाओं के संबंध में दिए जाने वाले विक्रय मूल्य के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए तात्पर्यित प्रत्येक भुगतान से श्रम एवं सेवाओं के मद में उस अनुपात में कटौती दी जायेगी जो संविदा विशेष से संबधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा परिमाण विपत्र अथवा एग्रीमेन्ट की प्रति अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज में कुल संविदा मूल्य में श्रम एवं सेवाओं की राशि का है।

(iii) जहाँ, संविदा से संबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा परिमाण विपत्र अथवा एग्रीमेन्ट की प्रति अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, अथवा जहाँ उपलब्ध दस्तावेजों से श्रम एवं सेवाओं का प्रभार का कुल संविदा मूल्य का अनुपात निर्धारणीय नहीं है, विभिन्न प्रकृति के कार्यसंविदा के लिए श्रम एवं सेवा मद में कटौती की गणना नियमावली के नियम–18 के उप–नियम (3क) में संलग्न टेबल में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।

(iv) उप–नियम (2) के खण्ड (ii) अथवा (iii) में विनिर्दिष्ट तरीके से कार्यसंविदा के निष्पादन में श्रम एवं सेवाओं के मद में कटौती एवं अधिनियम के धारा–6 एवं धारा–7 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुएं अथवा करमुक्त संव्यवहार हेतु भुगतेय राशि को घटाने के उपरान्त शेष राशि से विहित दर से श्रोत पर कर की अग्रिम कटौती की जायेगी:

परन्तु यह और कि वर्ष में काटी गयी राशि उस व्यक्ति, जिसके विपत्रों से कटौती की गयी है को धारा 68 के प्रावधानों के अधीन वापस कर दी जायेगी, यदि वह उस वर्ष में कर भुगतान हेतु दायी नहीं होता, जिस वर्ष में कटौती की गयी है:

परन्तु यह भी कि ऐसी कोई कर वापसी तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वापसी का दावा करने वाला व्यक्ति अंचल प्रभारी के समक्ष प्रपत्र A-XIIIमें आवेदन, जिस वित्तीय वर्ष में कटौती या कटौतियों, यथास्थिति, की गयी हो, के समापन के बाद दाखिल न करे।

6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-I का प्रतिस्थापन–बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-I निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

"फारम –RT-I

[देखें नियम 19 (2)]

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–24 के अधीन त्रैमासिक विवरणी

व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम –

करदाता पहचान संख्या (TIN) –

विवरणी की अवधि (त्रैमास एवं वर्ष) –

भाग –I (व्यापारावर्त्त/अंतरणों के ब्यौरे)

1	सकल आवर्त्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)	
	कटौतियाँ :	
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री	
3(i)	केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम, 1956 की धारा–4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य	
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य	
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य	
5	निर्यात बिक्री	
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)	
7	कुल कटौतियों की राशि (2+3+4+5+6)	
8	कराधेय आवर्त (1 – 7)	

पत्रांक-एम.4-53/2007- वि0(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बिहार गजट (असाधारण), 28 सितम्बर 2016

संकल्प

पटना, दिनांक-

विषय : योजना एवं गैर-योजना मद में कार्यों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम.4-53/2007-96 वि.(2) दिनांक 03.01.08 की कंडिका 5 में पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या अनु.-12/2003-2676(एस) अनु. दिनांक 15.05.05 द्वारा निर्गत लोक निर्माण संहिता (संशोधित) के क्लाउज 123 के प्रावधान एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या मं0मं0-01/आर.-03/2007- 602 दिनांक 20.03.07 की कंडिका 7 (iii) में स्वीकृत परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति में विरोधाभास होने के कारण विभिन्न विभागों को पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति देने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

2. उपर्युक्त के आलोक में तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या मं0मं0-01/आर.-02/2007- 602 दिनांक 20.03.07 की कंडिका 7 (iii) में दिये गये प्रावधान के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम.4-53/2007-96 वि.(2) दिनांक 03.01.08 की कंडिका 5 को विलोपित किया जाता है और निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि किसी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 96 दिनांक 03.01.08 की कंडिका 4 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये, मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।"

3. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

[C:\Fin\Exp\ABChaturbedi\Sankalp.p65]

भाग–III (खरीद/प्राप्ति का ब्यौरा)

						अन्य कर योग्य वस्तुएँ				कुल
11	तिमाही के दौरान खरीद/प्राप्ति का मूल्य									
(i)	राज्य के अन्दर से (व्यवहारीवार खरीद का ब्यौरा बॉक्स C के अनुसार संलग्न करें)									
(ii)	राज्य के बाहर से क्रय									
(iii)	विभागों से स्टॉक अंतरण–प्राप्तियाँ									
(iv)	राज्य के बाहर से स्टॉक अंतरण–प्राप्तियाँ									
12	कुल खरीद/प्राप्ति									

13	तिमाही के वर्तमान व्यवहारी द्वारा क्रेता पर चुकाया गया निविष्ट कर (विनिर्माता के मामले में कच्चा माल भी शामिल है)	
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स D के अनुसार) –	
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेश के बारे में निविष्ट कर जमा –	
16	गत तिमाही से अग्रनीत असमायोजित निविष्ट कर जमा–	
17	त्रैमास के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13–14)+15+16] –	
18	धारा–24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा किया जायेगा) –	
19	धारा–3क के अधीन भुगतेय अधिभार –	
20	धारा–3कक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर –	
21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट को घटाकर) [(10–18)+19+20] –	
22(i)	तिमाही के लिए भुगतेय कर (21–17) यदि 17 से 21 अधिक है –	
22(ii)	भुगतेय ब्याज	
22(iii)	तिमाही के लिए भुगतेय कर की कुल राशि [22(i)+22(ii)]	
23	असमायोजित निविष्ट कर (17–21) यदि 21 से 17 अधिक है –	
24(i)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वीकृत कर	

बॉक्स A (अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ)

	निम्नलिखित के बारे में कटौतियाँ :–	मूल्य
(i)	अधिनियम की अनुसूची–I में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री	
(ii)	एक ऑयल कंपनी द्वारा अन्य ऑयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं प्राकृतिक गैस की बिक्री (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की, उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ–साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न करें)। (विभिन्न कंपनियों को बेची गयी वस्तुओं का ब्यौरा बॉक्स E-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाय)	
(iii)	बिहार राज्य के भीतर भंडार अंतरण का मूल्य–	
(iv)	कार्य संवेदक के मामले में श्रम एवं अन्य प्रभार की राशि –	
(v)	धारा–15(5) के आलोक में ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिसपर खरीद के समय, अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान किया गया है –	
(vi)	अधिनियम की धारा–13(2)(ख) के अधीन मालों की बिक्री जिस पर बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर का भुगतान किया गया है (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ–साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न की जाय) –	
(vii)	अनुसूची v में विनिर्दिष्ट संगठनों को बिक्री –	
	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] (रिटर्न के क्रम सं० 6 पर ले जायें)	

बॉक्स B (व्यवहारीवार करदेय बिक्री का विवरण जैसा कि भाग–II के क्रमांक 9(v) में उल्लेखित है।)
I-निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र0 सं0	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदात पहचान संख्या	बिक्री का मूल्य								
			1%	5% (अनु०–IIIA)	5% (अनु०–III)	6% (अनु०–III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1											
2											
3											
कुल											

(नोटः यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी/व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से क्रय :

क्र0 सं0	अनिबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदात पहचान संख्या	क्रय का मूल्य									
			अनुसूची IV की वस्तुएँ	1%	5% (अनु०–IIIA)	5% (अनु०–III)	6% (अनु०–III)	13.5%	14.5%	15%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1												
2												
3												
4												
कुल												

(नोटः यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें)

बॉक्स'–D (रिवर्स क्रेडिट)

	निम्नलिखित के कारण प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) :	मूल्य	कर
(i)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष का इनपुट–आउटपुट अनुपात (नियम 15 के अनुसार "K")		
(ii)	राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण		
(iii)	अन्तर्प्रान्तीय भंडार अंतरण		
(iv)	इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद वापसी –		
(v)	वस्तुओं, उपहार अथवा स्व–उपभोग के अधिकार का अतंरण–		
(vi)	अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(vii)	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(viii)	चोरी हुई, खो गयी अथवा बर्बाद हो गयी वस्तुओं का मूल्य, यदि कोई हो		
(ix)	खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे गये माल		
(x)	कुल प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) (रिटर्न के कॉलम 14 पर ले जाया जाय)		

बॉक्स'–E-I/E-2 (पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एवं ए0टी0एफ0 की व्यवहारी वार बिक्री) बॉक्स E-I के योग वस्तुवार कॉलम 9(i)कसे 9(i)घ पर ले जायें एवं बॉक्स– E-2 का योग बॉक्स के A कॉलम (ii) पर ले जायें

क्र0 सं0	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान सं0	.....की बिक्रीयों का मूल्य				
			पेट्रोल	डीजल	प्राकृतिक गैस	ए0टी0एफ0	कुल
1							
2							
3							
4							
5							
कुल							

बॉक्स J (व्यवहारीवार एम०आर०पी० वस्तुओं की बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(vi) में उल्लेखित है।)

(i) निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्या	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य							
			अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य
1										
2										
3										
4										
कुल										

(नोटः–यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

(ii) अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र० सं०	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पूर्ण पता	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य							
			अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य
1										
2										
3										
4										
कुल										

(नोट–यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

(iii) उपभोक्ताओं को बिक्री :

	एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य							
	अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
उपभोक्ताओं को की गयी कुल बिक्री	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य	व्यापार मूल्य	एम०आर० पी० मूल्य

कुलएम०आर०पी०बिक्री (i)+(ii)+(iii) = रू०.....

7. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-III का प्रतिस्थापन–बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-III निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा–

"फारम –RT-III

[देखें नियम 19 (2)]

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–24 के अधीन वार्षिक विवरणी

व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम –
करदाता पहचान संख्या (TIN) –
विवरणो की अवधि (वर्ष) –

भाग –I (व्यापारावर्त्त/अंतरणों के ब्यौरे)

1	सकल आवर्त्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)	
	कटौतियाँ :	
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री	
3(i)	केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम, 1956 की धारा–4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य	
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य	
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य	
5	निर्यात बिक्री	
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)	
7	कुल कटौतियों की राषि (2+3+4+5+6)	
8	कराधेय आवर्त (1 – 7)	

भाग –II (आउटपुट टैक्स)

कर वार आउटपुट टैक्स का विभाजन

9	बिक्री का विवरण	कर की दर	बिक्री का आवर्त्त	भुगतेय कर
(i)(क)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को पेट्रोल की बिक्री			
(i)(ख)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिक्री			
(i)(ग)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को ए0टी0एफ0 की बिक्री			
(i)(घ)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री			
(i)(ड.)	देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री			
(i)(च)	देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री			
(i)(छ)	अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IVके अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स H के अनुसार ब्यौरे दें)			
(i)(ज)	निर्दिष्ट अन्य			
(ii)	अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स F के अनुसार दर्शाया जाये)	1 प्रतिशत		
(iii)(क)	अनुसूची IIIक में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स F के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत		
(iii)(ख)	अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स F के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत		

भाग–IV (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं भुगतेय कर)

		मूल्य	कर
13	वर्ष के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रय पर चुकाया गया निविष्ट कर (जिसमें विनिर्माता के मामले में क्रय कर भी शामिल है।) –		
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स C के अनुसार) –		
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेश के बारे में निविष्ट कर जमा –		
16	गत वर्ष से अग्रनीत असमायोजित निविष्ट कर जमा–		
17	वर्ष के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13–14)+15+16] –		
18	धारा–24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा–किया जायेगा एवं 10–17 पर संगणित की जायेगी) –		
19	धारा–3क के अधीन भुगतेय अधिभार –		
20	धारा–3कक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर –		
21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट को घटाकर) [(10–18)+19+20] –		
22(i)	वर्ष के लिए भुगतेय वैट (21–17) यदि 17 से 21 अधिक है –		
22(ii)	भुगतेय ब्याज		
22(iii)	वर्ष के लिए भुगतेय कर की कुल राशि [22(i)+22(ii)]		
23	असमायोजित निविष्ट कर (17–21) यदि 21 से 17 अधिक है –		
24(i)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वीकृत कर		
24(ii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय कर से असमायोजित निविष्ट कर का सामंजन –		
24(iii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भुगतेय कर, यदि कोई हो [24(i)–24(ii)]		
25	धारा– 16 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन दावाकृत असमायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी, यदि कोई		
26(i)	अग्रनीत निविष्ट कर जमा [23-{24(ii)+25}]		
26(ii)	वर्ष के माह/माहों में भुगतेय कर की सीमा तक भुगतान किया गया वैट–		
26(iii)	कुल अग्रनीत निविष्ट कर जमा [26(i)+26(ii)]		

बॉक्स B

वस्तु का नाम	कर की दर	बिक्री का आवर्त्त	भुगतेय कर
पेट्रोल			
डीजल			
ए०टी०एफ०			
प्राकृतिक गैस			
कुल			

बॉक्स'–C (रिवर्स क्रेडिट)

	निम्नलिखित के कारण प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) :	मूल्य	कर
(i)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष कामूल इनपुट–आउटपुट अनुपात का मूल्य (नियम 15 के अनुसार "K")		
(ii)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में वर्त्तमान वर्ष के पुनरीक्षित इनपुट–आउटपुट अनुपात का मूल्य (नियम 16 के अनुसार पुनरीक्षित "K")		
(iii)	राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण		
(iv)	अन्तर्प्रान्तीय भंडार अंतरण		
(v)	इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद वापसी –		
(vi)	वस्तुओं, उपहार अथवा स्व–उपभोग के अधिकार का अतंरण–		
(vii)	अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(viii)	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(ix)	चोरी हुई, खो गयी अथवा बर्बाद हो गयी वस्तुओं का मूल्य, यदि कोई हो		
(x)	खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे गये माल		
(xi)	कुल प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) (रिटर्न के कॉलम 14 पर ले जाया जाय)		

बॉक्स'–D (पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एवं ए०टी०एफ० की बॉक्स A केकॉलम (ii) के अनुसार व्यवहारी वार बिक्री)

क्र० सं०	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्या	.....की बिक्रियों का मूल्य				
			पेट्रोल	डीजल	प्राकृतिक गैस	ए०टी०एफ०	कुल
1							
2							
3							
4							
कुल							

बॉक्स–I [वैट, केन्द्रीय बिक्री कर एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत मासिक कर भुगतान का विवरण]

क्र० सं०	माह का नाम	अधिनियम का नाम (वैट/सी०एस० टी०/प्रवेश कर)	माह का आउटपुट कर यदि कोई हो	माह का इनपुट टैक्स यदि कोई हो	माह में भुगतेय कर यदि कोई हो	भुगतान की गयी कर की राशि	भुगतान की गयी ब्याज की राशि	कर भुगतान की तिथि	चलान सं0
1									
2									
3									
कुल									

मैं घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न एवं विभिन्न बॉक्स में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं दी गई विशिष्टियाँ एक निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस रिटर्न को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करन हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :
तिथि :

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर,"
व्यवसायी से प्रास्थिति

8. **बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-Vका प्रतिस्थापन**–बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-V निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

"फारम –RT-V

[देखें नियम 19 (4)]

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–24 के अधीन संशोधित त्रैमासिक विवरणी

व्यवहारी का नाम एव अधिनाम –

करदाता पहचान संख्या (TIN) –

विवरणे की अवधि (त्रैमास एवं वर्ष) –

भाग –I (व्यापारावर्त्त/अंतरणों के ब्यौरे)

1	सकल आवर्त्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)	
	कटौतियाँ :	
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री	
3(i)	केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम, 1956 की धारा–4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य	
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य	
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य	
5	निर्यात बिक्री	
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)	
7	कुल कटौतियों की राषि (2+3+4+5+6)	
8	कराधेय आवर्त्त (1–7)	

9	बिक्री का विवरण	कर की दर	बिक्री का आवर्त्त	भुगतेय कर
(ix)	अधिक वसूल की गयी कर राशि = विक्रय वापसी की राशि x (वर्त्तमान कर दर–ऐसी विक्री के समय प्रभावी कर दर)			
10	कुल आउटपुट टैक्स [(i)(क)+(i)(ख)+(i)(ग)+(i)(घ)+(i)(ड.)+(i)(च)+(i)(छ)+(i)(ज)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)]			

भाग–III (खरीद/प्राप्ति का ब्यौरा)

11.	तिमाही के दौरान खरीद/प्राप्ति का मूल्य	धारा–15 (5) के अधीन अधिसूचित वस्तुएँ *	अनुसूची–IV में वर्णित वस्तुएँ	अनुसूची–I की वस्तुएँ	अन्य कर योग्य वस्तुएँ							कुल
					1%	5% (अनु०–IIIA)	5% (अनु०–III)	6% (अनु०–III)	13.5%	14.5%	15%	
(i)	राज्य के अन्दर से क्रय (व्यवहारीवार खरीद का ब्यौरा बॉक्स C के अनुसार संलग्न करें)											
(ii)	राज्य के बाहर से क्रय											
(iii)	राज्य के अन्दर से स्टॉक अंतरण–प्राप्तियाँ											
(iv)	राज्य के बाहर से स्टॉक अंतरण–प्राप्तियाँ											
12.	कुल खरीद/प्राप्ति											

*धारा–15(5) के अधीन अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री का व्यवहारीवार ब्यौरा बॉक्स K में दाखिल करें।

भाग–IV (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं भुगतेय कर)

		मूल्य	कर
13	तिमाही के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रय पर चुकाया गया निविष्ट कर (जिसमें विनिर्माता के मामले में क्रय कर भी शामिल है।) –		
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स D के अनुसार) –		
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेश के बारे में निविष्ट कर जमा –		
16	गत तिमाही से अग्रनीत असमायोजित निविष्ट कर जमा–		
17	त्रैमास के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13–14)+15+16] –		
18	धारा–24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा–किया जायेगा एवं 10–17 पर संगणित की जायेगी) –		
19	धारा–3क के अधीन भुगतेय अधिभार –		
20	धारा–3कक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर –		
21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट को घटाकर) [(10–18)+19+20] –		

बॉक्स A (अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ)

	निम्नलिखित के बारे में कटौतियाँ :–	मूल्य
(i)	अधिनियम की अनुसूची–I में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री	
(ii)	एक ऑयल कंपनी द्वारा अन्य ऑयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं प्राकृतिक गैस की बिक्री (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की, उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ–साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न करें)। (विभिन्न कंपनियों को बेची गयी वस्तुओं का ब्यौरा बॉक्स E-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाय)	
(iii)	बिहार राज्य के भीतर भंडार अंतरण का मूल्य–	
(iv)	कार्य संवेदक के मामले में श्रम एवं अन्य प्रभार की राशि –	
(v)	धारा–15(5) के आलोक में ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिसपर खरीद के समय, अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान किया गया है –	
(vi)	अधिनियम की धारा–13(2)(ख) के अधीन मालों की बिक्री जिस पर बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर का भुगतान किया गया है (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ–साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न की जाय) –	
(vii)	अनुसूची v में विनिर्दिष्ट संगठनों को बिक्री –	
	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] (रिटर्न के क्रम सं० 6 पर ले जायें)	

बॉक्स B (व्यवहारीवार करदेय बिक्री का विवरण जैसा कि भाग–II के क्रमांक 9(v) में उल्लेखित है।)

I-निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र0 सं0	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्या	बिक्री का मूल्य							
			1%	5% (अनु०–IIIA)	5% (अनु०–III)	6% (अनु०–III)	13.5%	14.5%	15%	मुक्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1											
2											
3											
कुल											

(नोट: यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)